प्रेस विज्ञप्ति दिनांक- 18.02.2025

थाना मुगलसराय

◆ जपनद में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद.

◆ चन्दौली व बिहार राज्य से चोरी की मोटरसाइकिलों के नम्बर प्लेट में बदलाव कर ग्राहकों में बेचने की योजना को पुलिस ने किया विफल.

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आपरेशन, अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी PDDU नगर, आशुतोष के पर्यवेक्षण में मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल चोरी कर उनके नम्बर में बदलाव करके ग्राहकों को बेचने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 मोटरसाइकिलें बरामद की गयी है।

दिनांक 17.02.2025 को उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी व उ0नि0 ब्रह्मशंकर राय मय हमराह द्वारा सब्जी मण्डी तिराहा कस्बा मुगलसराय पर चेकिंग किया जा रहा था इसी दौरान सूत्रों से सूचना मिली कि दो लड़के जिनके पास चोरी की मोटर साइकिल है उसी मोटर साइकिल के साथ सुभाषनगर गुरुद्वारा के पीछे मौजूद है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा सुभाषनगर गुरुद्वारा के पीछे घेराबंदी किया गया जहां पर 02 व्यक्ति मोटरसाइकिल के साथ दिखाई दिये, पुलिस टीम को सामने देखकर दोनो व्यक्ति भागने लगे। जिस पर पुलिस टीम द्वारा 01 व्यक्ति को समय करीब 10.50 बजे पकड़ लिया गया तथा दूसरा व्यक्ति फरार हो गया। जो काफी खोजबीन से पकड़ में नही आया।
गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान संदीप गुप्ता उर्फ बहादुर पुत्र कुन्जू गुप्ता निवासी कैलाशपुरी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र करीब 19 वर्ष के रूप में हुयी।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उपरोक्त मोटर साइकिल चोरी की है। जिसे मैने अपने सहयोगी लकी जायसवाल के साथ मिलकर संगम लान के पास से चुराया था। जिसको बेचने के लिए खड़े होकर प्लान बना रहे थे।
मौके से फरार दूसरे व्यक्ति का नाम लकी जायसवाल पुत्र स्व० दिनेश जायसवाल नि० गल्ला मण्डी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली है।
गिरफ्तार अभियुक्त से थाना क्षेत्र में चोरी हुयी अन्य मोटर साइकिलो के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर बताया कि एक मोटर साइकिल जिसे मैं अपने भाई सुरेश गुप्ता व लकी जायसवाल के साथ मिलकर दुर्गावती बिहार से चुराकर लाया था और उसका नम्बर प्लेट बदलकर चला रहे हैं तथा ग्राहक की तलाश में थे ग्राहक मिलने पर बेच देते वह मोटर साइकिल मेरे भाई के पास घर पर मौजूद है।
गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की एक हिरो स्पेल्डर प्लस चेचिस नम्बर MBLHAW220RHH07618 व इंजन नम्बर HA11E7RHH16657 बरामद किया गया। उपरोक्त बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 80/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

उपरोक्त बयान के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस टीम द्वारा उसके घर लेकर पहुंचे। जहांपर अभियुक्त का भाई सुरेश गुप्ता पुत्र कुन्जू गुप्ता निवासी कैलाशपुरी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली मौजूद मिला जिसने पूछताछ पर बताया कि चोरी की मोटर साइकिल जिसे मैं, बहादूर और लकी जायसवाल दुर्गावती से चुरा कर लाये है और नम्बर प्लेट बदलकर प्रयोग कर रहे है ग्राहक तलाश रहे थे कोई मिल जाता तो बेचकर पैसा हम दोनो भाई और लकी जायसवाल आपस में बाट लेते।

अभियुक्त संदीप उर्फ बहादुर व सुरेश के निशानदेही पर उनके घर से मोटर साइकिल सुपर स्पेलेन्डर प्लस बारंग काला बरामद हुआ जिसके नम्बर प्लेट पर नम्बर UP67Y3229 अंकित नम्बर फर्जी पाया गया।

मोटर साइकिल के चेचिस नम्बर MBL.JAR039H9D23683 की जांच किये जाने पर रजिस्ट्रेशन नम्बर BR45H1275 है जिसके वास्तविक वाहन स्वामी अमित कुमार सिंह पुत्र रामप्रकाश सिंह निवासी ग्राम छाटा थाना दुर्गावती जिला कैमूर भभुआ बिहार है।

गिरफ्तार अभियुक्त सुरेश गुप्ता व संदीप गुप्ता उर्फ बहादूर पुत्रगण कुन्जू गुप्ता निवासी कैलाशपुरी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली का यह कार्य मोटर साइकिल को चुराकर छल के आशय से कूटरचित नम्बर प्लेट लगाकर असली के जैसा प्रयोग करना और चोरी की मोटर साइकिल को बेच कर धन अर्जित करना अन्तर्गत धारा 317 (2)/317(4)/319(2)/318(1)/338/336(3)/340(2) बीएनएस का अपराध है जिसको समय करीब 11.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.सं. 82/25 धारा 317 (2)/317(4)/319(2)/318(1)/338/336(3)/340(2) बीएनएस

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 80/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना मुगलसराय चन्दौली।
2.मु.अ.सं. 82/25 धारा 317 (2)/317(4)/319(2)/318(1)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना मुगलसराय चन्दौली।

गिरफ्तार अभियुक्त

1.संदीप गुप्ता उर्फ बहादुर पुत्र कुन्जू गुप्ता निवासी कैलाशपुरी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
2.सुरेश गुप्ता पुत्र कुन्जू गुप्ता निवासी कैलाशपुरी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

बरामदगी

02 मोटरसाइकिल

पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय विजय बहादुर सिंह
उपनिरीक्षक मनोज कुमार तिवारी मय हमराह
उपनिरीक्षक ब्रह्माशंकर राय मय हमराह

थाना- कोतवाली चन्दौली

◆एम्बुलेंस से अवैध शराब तस्करी का खुलासा, चेकिंग के दौरान एम्बुलेंस से 512.250 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत 03 लाख रूपये) बरामद.

◆हरियाणा से बिहार राज्य के लिए की जा रही थी तस्करी। बिहार व उत्तर प्रदेश के 03 फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर की जा रही थी तस्करी, राज्य की सीमा बदलते ही नम्बर प्लेट में कर दिया जाता था बदलाव

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आपरेशन, अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी सदर, राजेश राय के पर्यवेक्षण में चन्दौली पुलिस टीम द्वारा एम्बुलेंस से हरियाणा निर्मित विभिन्न ब्रांड के कुल 512.250 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत 03 लाख रूपये) की तस्करी कर रहे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तस्करी के दौरान विभिन्न नम्बर प्लेटों का प्रयोग किया जाता था।

आज दिनांक 18.02.2025 को उ0नि0 संतोष कुमार तिवारी, उपनिरीक्षक राजेश सिंह मय हमराह को रात्रि गस्त व चेकिंग के दौरान अभिसूचना प्राप्त हुयी कि हरियाणा से बिहार राज्य के लिए चन्दौली के हाईवे से एक एम्बुलेंस से अवैध शराब तस्करी की जा रही है इस सूचना पर पुलिस लाइन के सामने लगे बैरियर पर चेकिंग प्रारम्भ की गई। कुछ देर बाद एक एम्बुलेन्स (UP23T7999) सामने से आयी जिसको रोककर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की गयी तो एम्बुलेन्स के अन्दर बने बाक्स से हरियाणा राज्य निर्मित शराब की पेटियां बरामद हुयी।
पेटियो को खोलवाकर कर देखा गया तो 54 पेटी रायल स्टेज बैरल सलेक्ट (प्रत्येक पोटी में 12 बोटल तथा प्रत्येक बोतल मे 750 ML शराब अग्रेजी कुल 648x750 ML कुल 486 लीटर) व 3 पेटी मे 35 बोतल मैजिक मोमेन्ट अग्रेजी शराब (प्रत्येक बोतल मे 750 ML कुल 35x750 ML 26.250 लीटर) हरियाणा निर्मित अवैध अग्रेजी शराब बरामद हुई।
गिरफ्तार एम्बुलेंस चालक की पहचान कुनाल कुमार S/O मुन्ना शाह निवासी वस्ती रोड कटरा माल्दा रोड थाना मनेर पटना बिहार के रूप में हुयी। जिसको समय करीब 05.40 बजे गिरफ्तार किया गया। एम्बुलेंस से बरामद 03 वाहन नम्बर प्लेट क्रमशः UP23T7999, BR01PJ8960, BR01PD1241 के बारे में पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि इन नम्बर प्लेटों का इस्तेमाल प्रदेश बदलने पर उनकी सीमाओं में किया जाता है। जिस प्रदेश में एम्बुलेंस प्रवेश करती है वहां का नम्बर प्लेट लगा दिया जाता है। अभियुक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व धारा 338/336(3)/336(4)/340(2) बीएनएस के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। तथा बरामद वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमबीएक्ट में सीज किया गया।

पंजीकृत अभियोग

मुं.अ.सं. 36/2025 धारा 336(3), 336(4), 338, 340(2) BNS व 60/63 आबकारी अधिनियम थाना चन्दौली।

गिरफ्तार अभियुक्त

कुनाल कुमार पुत्र मुन्नाशाह, निवासी- बस्ती रोड़ कटरा, मालदा रोड, मनेर, पटना बिहार।

बरामदगी

1.54 पेटी रायल स्टेज बैरल सलेक्ट (प्रत्येक पोटी में 12 बोटल तथा प्रत्येक बोतल मे 750 ML शराब अग्रेजी कुल 648x750 ML कुल 486 लीटर)
2.3 पेटी मे 35 बोतल मैजिक मोमेन्ट अग्रेजी शराब (प्रत्येक बोतल मे 750 ML कुल 35x750 ML 26.250 लीटर) हरियाणा निर्मित, अनुमानित कीमत 03 लाख रुपये।
3.तीन वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट (बिहार व यूपी)
4.एक मोबाइल।

पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक चन्दौली राजेश सिंह
उपनिरीक्षक संतोष कुमार तिवारी मय हमराह।

उपनिरीक्षक राजेश सिंह मय हमराह

स्वाट/सर्विलांस-

उ0नि0 आशीष मिश्रा प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम
हे0का0 अरविंद भारद्वाज
हे0का0 राणा प्रताप सिंह
हे0का0 आनंद सिंह
हे0का0 रामानंद यादव
हे0का0 प्रेम यादव
का0 अजीत कुमार सिंह
का0 नीरज कुमार मिश्रा
का0 मनोज कुमार यादव
का0 मनीष कुमार